

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 721/2026

Ajay Alias Ajay Kumar S/o Surajmal, Aged About 34 Years, R/o Todupura Police Station Sadar, Hindaun City, District Karauli. (At Present Accused Petitioner Has Been Confined In Central Jail Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Swapnil Singh Patel, Adv. Ms. Shivangi Singh Patel, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/05/2026

वर्तमान एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका पूर्व में ही विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है, अतः प्रकरण सम्यक अनुक्रम में सूचीबद्ध किया जावे।

In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 187/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 299/2014 में पारित निर्णय 04.10.2021 के तहत धारा 379 भा.दं.सं. के अपराध में अधिकतम एक वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर द्वारा फौजदारी अपील संख्या 25/2021 में पारित निर्णय 16.07.2024

के माध्यम से याची को धारा 379 भा.दं.सं. के संबंध में विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को यथावत रखा।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का कथन रहा कि अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में होकर सजा भुगत रहा है। निगरानी याचिका में सफल होने की पूर्ण उम्मीद है, किन्तु उसके विचारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-याची द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त **अजय उर्फ अजय कुमार पुत्र सूरजमल** की ओर से **विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय** द्वारा पुष्ट अपराध में अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **09.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, **एक लाख रूपए** का बन्ध-पत्र एवं **पचास-पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **04.10.2021** तथा **16.07.2024** के तहत कारावास की सीमा तक दिए गए **“दण्डादेश”** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J